न्यायालयः–डी0 एस0 बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नवागढ़
जिला–जॉजगीर चाम्पा, (छ0ग0)

दाण्डिक प्रकरण क्रं. 168/17

संस्थित दिनांक 11/05/2017

CIS No. CGJC100000772008

छ0ग0 राज्य,

आरक्षी केन्द्र नवागढ़

जिला जॉजगीर चाम्पा (छ.ग.)..... **अभियोजन**

विरूद्ध

जितेन्द्र कुमार साहू पिता डी अवधराम साहू,

साकिन मेनकाडीह पारा नवागढ़, थाना नवागढ,

जिला–जॉजगीर चाम्पा (छ.ग.).....**अभियुक्त**

–::–निर्णय ::–

(आज दिनांक 30/06/2017 को घोषित)

01– प्रकरण में अभियुक्त जितेन्द्र कुमार साहू के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता के धारा 457, 380 के तहत आरोप हैं कि दिनॉक 23/01/2017 की दरमियानी रात ग्राम नवागढ़ स्थित प्रार्थी गोविंद केशरवानी के कपड़ा एवं मोबाईल के दुकान से जो कि सम्पत्ति अभिरक्षा के उपयोग में आती है, में सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृह भेदन कारित किया और दुकान से 01–सैमसंग कम्पनी का 11 नग मोबाईल, 02– ओप्पों कम्पनी का 01 नग मोबाईल, 03– माइक्रोमैक्स कम्पनी का 11 नग मोबाईल, 04– सरटो कम्पनी का 07 नग मोबाईल, 05– इन्टेक्स कम्पनी का 06 नग मोबाईल, 06– एस कम्पनी का 01 नग मोबाईल, 07– जिवोक्स कंपनी का 02 नग मोबाईल,

08– वहाम कम्पनी का 02 नग मोबाईल, 09– कारलवों कम्पनी का 01 नग, 10– एक्सजबेक्स कम्पनी का 03 नग, 11– स्मार्ट कम्पनी का 01 नग, 12– मोसेस कम्पनी का 01 नग, 13 विडियोकान कम्पनी का 03 नग, 14– हाईटच कम्पनी का 03 नग, 15– ओपल कम्पनी का 03 नग, 16– लावा कम्पनी का 01 नग, 17– नोकिया कम्पनी का 02 नग, 18– कारलवों कम्पनी का 01 नग, 19– स्वारस कम्पनी का 01 नग, 20– कार्बन कम्पनी का 02 नग, 21– आईसूज 01 नग, 22– बाथविन 01 नग, 23– आईकिंग 01 नग, 24– आईबॉल 01 नग, 25– उक्स जिवोक्स 01 नग, 26– आईटेल 03 नग, 27– केकोन्स 02 नग, 28– वार्म 01 नग, 29– मेनिक्स 01 नग, 30– पुरवोस 01 नग, 31– विरा 01 नग, 32– विरा 01 नग, 33– तासेन 01 नग, 34– रिचकाम 01 नग, 35– एकसल्सस 01, 36– 02 नग जींस पेंट, वस्तुओं की चोरी कारित किया।

02– प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नही है।

03– अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 23.01.2017 को रात 08:30 बजे अपना दुकान बंद कर शटर में ताला लगाकर घर नवागढ़ चला गया था जो जब दिनांक 24.01.2017 के 07:30 बजे दुकान खोलने अपने दुकान आया जहॉ सामने दुकान में लगा शटर का ताला तोड़कर कोई अज्ञात चोर जीन्स का पेंट एवं विभिन्न कम्पनियों का मोबाईल चोरी कर ले गये है। प्रार्थी गोविंद केशरवानी द्वारा दिनांक 24.01.2017 को प्रस्तुत लिखित आवेदन पत्र पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अभियुक्त ने अपराध किया जाना स्वीकार किया। अभियुक्त द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर चोरी किया गया सामान बरामद किया गया एवं

अन्वेषण की अन्य कार्यवाहिया पूरी करनी पश्चात् न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की गयी।

04— अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380 के अंर्तगत आरोप पत्र विरचित कर उसे पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया है। दंड प्रकिया संहिता की धारा 313 (1) (ख) के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

05— <u>प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है :—</u>

1. क्या आरोपी ने दिनॉक 23/01/2017 की दरमियानी रात ग्राम नवागढ़ स्थित प्रार्थी गोविंद केशरवानी के कपड़ा एवं मोबाईल के दुकान से जो कि सम्पत्ति अभिरक्षा के उपयोग में आती है, में सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृह भेदन कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर दुकान से 01—सैमसंग कम्पनी का 11 नग मोबाईल, 02— ओप्पों कम्पनी का 01 नग मोबाईल, 03— माइक्रोमैक्स कम्पनी का 11 नग मोबाईल, 04— सरटो कम्पनी का 07 नग मोबाईल, 05— इन्टेक्स कम्पनी का 06 नग मोबाईल, 06— एस कम्पनी का 01 नग मोबाईल, 07— जिवोक्स कंपनी का 02 नग मोबाईल, 08— वहाम कम्पनी का 02 नग मोबाईल, 09— कारलवों कम्पनी का 01 नग, 10— एक्सजबेक्स कम्पनी का 03 नग, 11— स्मार्ट कम्पनी का 01 नग, 12— मोसेस कम्पनी का 01 नग, 13 विडियोकान कम्पनी का 03 नग, 14— हाईटच कम्पनी का 03 नग, 15— ओपल कम्पनी का 03 नग, 16— लावा कम्पनी का 01 नग, 17—

नोकिया कम्पनी का 02 नग, 18– कारलवों कम्पनी का 01 नग, 19– स्वारस कम्पनी का 01 नग, 20– कार्बन कम्पनी का 02 नग, 21– आईसूज 01 नग, 22– बाथविन 01 नग, 23– आईकिंग 01 नग, 24– आईबॉल 01 नग, 25– उक्स जिवोक्स 01 नग, 26– आईटेल 03 नग, 27– केकोन्स 02 नग, 28– वार्म 01 नग, 29– मेनिक्स 01 नग, 30– पुरवोस 01 नग, 31– विरा 01 नग, 32– विरा 01 नग, 33– तासेन 01 नग, 34– रिचकाम 01 नग, 35– एकसल्सस 01, 36– 02 नग जींस पेंट, वस्तुओं की चोरी कारित किया ?

3. दोषमुक्त या दोषसिद्ध ?

//सकारण निष्कर्ष //

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 व 02

06– उपरोक्त दोनो विचारणीय प्रश्नों को साक्ष्य के पुनर्रावृत्ति रोकने के उद्देश्य से एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

07– अपने मामले को सिद्ध करने के लिए अभियोजन द्वारा कुल 05 साक्षियों के साक्ष्य प्रकरण में कराये गये है। वर्तमान प्रकरण रात्रि गृहभेदन एवं चोरी के अपराध से संबंधित है और प्रकरण में अपराध किये जाने के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रकरण में हिरासत के दौरान अभियुक्त द्वारा दी गई तथाकथित सूचना के आधार पर जप्ती कार्यवाही से संबंधित साक्ष्य ही प्रकरण में मुख्य साक्ष्य है। अ0सा0–02 ध्वजाराम साहू एवं अ0सा0–04 दुर्गेश चौहान जप्ती कार्यवाही के लोक साक्षी है। अ0सा0–02 ध्वजाराम साहू ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दिनांक 14/03/17 को पुलिस वालों ने थाने में कोरे कागजातों पर हस्ताक्षर लिया था, उसके समक्ष अभियुक्त से किसी भी संपत्ति की जप्ती नहीं हुई थी। इस तरह स्पष्ट है कि अ0सा0–02 ने अभियोजन कहानी का समर्थन

नहीं किया है। न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आयी है जिससे अभियोजन कहानी को बल मिलता हो। इसी तरह अन्य जप्ती साक्षी अ0सा0–04 दुर्गेश चौहान ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी का कहना है कि उसके समक्ष किसी प्रकार की कोई सपंत्ति जप्त नहीं की गई। इस साक्षी से भी न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आयी है जिससे अभियोजन कहानी को बल मिलता हो।

08– प्रकरण के अन्य साक्षी गोविन्द केशरवानी अ0सा0–01 जो की प्रकरण का प्रार्थी है का साक्ष्य उसकी दुकान में रात्रि गृहभेदन एवं चोरी के तथ्य तक सीमित है। इस साक्षी का कहना है कि चोरी किसी अज्ञात व्यक्ति ने किया था। अपराध किस व्यक्ति ने किया था, इस तथ्य को प्रमाणित करने में इस साक्षी अ0सा0–01 का साक्ष्य सहायक प्रतीत नहीं होता है।

09– प्रकरण के अन्य साक्षी अनील केशरवानी अ0सा0–03 का साक्ष्य इस तथ्य तक सीमित है कि उसका भतीजा गोविंद केशरवानी अ0सा0–01 ने उसे घटना दिनांक को फोन करके बताया था कि उसकी दुकान में किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी किया है। इसी तरह का कथन अश्वनी केशरवानी अ0सा0–06 ने भी किया है, जो कि प्रकरण के प्रार्थी गोविन्द केशरवानी अ0सा0–01 के पिता इस तरह स्पष्ट है कि साक्षी अ0सा0–03 और साक्षी अ0सा0–06 का साक्ष्य अभियुक्त के दोष प्रमाणित करने में सहायक दर्शित नहीं होता है।

10– अन्य अभियोजन साक्षी अ0सा0–05 आशाराम उइके जो कि प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी भी है ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि उसने दिनांक 24/01/17 को प्रार्थी गोविंद केशरवानी अ0सा0–01 के लिखित शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 02 दर्ज किया था और घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा प्र0पी0 03 तैयार किया था एवं प्रकरण में साक्षियों के कथन

लेखबद्ध किया था। इसी साक्षी अ0सा0–05 का कहना है कि अभियुक्त जितेन्द्र कुमार साहू को अभिरक्षा में पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपराध किया जाना स्वीकार किया था एवं अभियुक्त से प्राप्त सूचना के आधार पर चोरी गये समस्त मोबाईल फोन, जिंस के पेंट और दुकान के ताला तोड़ने में प्रयुक्त सब्बलनुमा औजार अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया था और जप्ती पत्रक प्र0पी0 07 एवं 07 ए तैयार किया था। इस तरह स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्त के दोष को प्रमाणित करने बाबत् एक मात्र साक्षी अ0सा0–05 का सकारात्मक साक्ष्य प्रकरण में उपलब्ध है। यद्यपि विधि का स्थापित सिद्धांत है कि मात्र अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए दोषसिद्धी की जा सकती है, परंतु प्रज्ञा का यह भी नियम है कि ऐसे साक्षी के साक्ष्य का सावधानी एवं गहनता से विवेचना की जानी चाहिए। इस साक्षी अ0सा0–05 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रार्थी ने प्रथम सूचना दर्ज कराते समय किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बताया था। इस साक्षी ने प्रतीपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि चुराई गई वस्तुएं अभियुक्त के कब्जे से किस स्थान विशेष से जप्त हुई थी। प्रकरण एवं अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अ0सा0–05 ने अभियुक्त को कब कितने बजे हिरासत में लिया और कब, कितने बजे और किस स्थान विशेष से अभियुक्त के कब्जे से चुराई गई वस्तुएं जप्त की गई थी। इस तरह स्पष्ट है कि अन्वेषण कार्यवाही सद्भाविक एवं रिजु प्रतीत नहीं होती है। विशेषकर जबकि प्रकरण में कोई अन्य साक्षी का सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में मात्र अन्वेषण अधिकारी अ0सा0–05 के साक्ष्य पर विश्वास कर दोषसिद्धी करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः

अभियुक्त जितेन्द्र कुमार साहू को आरोपित समस्त आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल फोन निम्न को छोड़कर पूर्व से प्रार्थी गोविंद केशरवानी के सुपुर्दनामा में दिया जा चुका है, अतः अपील अवधि पश्चात् उपरोक्त सुपुर्दनामा अंतिम समझा जावे, किंतु प्रार्थी द्वारा माइक्रोमैक्स 346 जिसका आई.ई.एम.आई. नं. 91148005433182 एवं माइक्रोमैक्स 097 आई.ई.एम. आई. नं. 911386052739159 एवं जप्तशुदा जिंस के पेंट प्रार्थी के सुपुर्दनामा पर इस कारण से नहीं दिये गये थे क्योंकि इस संबंध में प्रार्थी द्वारा उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था, परंतु प्रकरण निर्णय स्तर पर है और आज दिनांक तक उपरोक्त संपत्तियों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में शेष संपत्ति प्रकरण के प्रार्थी गोविंद केशरवानी को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः छः माह के अंदर विधिवत् आवेदन किये जाने पर शेष संपत्ति प्रार्थी गोविंद केशरवानी को प्रदान की जावे एवं प्रकरण में जप्तशुदा अन्य संपत्ति लोहे का सब्बल एवं टूटा हुआ ताला मूल्यहीन होने के कारण नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत किया जावे।

12— प्रकरण में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत—मुचलका द.प्र.सं. की धारा 437 (ए) के अनुपालन में आगामी छः माह तक प्रभावशील रहेगा। माननीय अपीलीय न्यायालय से नोटिस मिलने पर अभियुक्त माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहेगा। अपील नहीं होने की दशा में अभियुक्त को जमानत एवं मुचलका छः माह पश्चात् स्वमेव निरस्त समझे जायेंगे।

13— अभियुक्त को दिनांक 14/03/17 से दिनांक 15/03/17 तक पुलिस अभिरक्षा में एवं दिनांक 15/03/17 से दिनांक 30/06/17 तक न्यायिक अभिरक्षा में

रहा है। इस तरह अभियुक्त द्वारा बिताई गई कुल अभिरक्षा की अवधि 110 दिन है। उपरोक्त आशय का प्रमाणपत्र अंतर्गत धारा 428 द0प्र0स0 तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सहीं/–
डी0एस0 बघेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नवागढ़, (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित

सहीं/–
डी0एस0 बघेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नवागढ़, (छ.ग.)